

Statement Re: National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023 - laid

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : माननीय सभापति महोदय, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का संख्यांक 1) के प्रख्यापन द्वारा शीघ्र विधान के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ

---

? (व्यवधान)

15.02 hrs